भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2358
दिनांक 06 अगस्त, 2024 / 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पूर्व अर्द्धसैनिक बल के कार्मिकों को सुविधाएं

†2358. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के उद्देश्य से एक कल्याण बोर्ड की स्थापना के संबंध में पूर्व अर्द्धसैनिक बल कल्याण संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को उपरोक्त संघ से सेना झंडा दिवस के समान 'अर्ध सेना झंडा दिवस निधि' की स्थापना पर पुनर्विचार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और प्रस्ताव के अनुमोदन की स्थिति क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने सीएपीएफ कार्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के दिवंगत/नि:शक्त कर्मियों के निकटतम संबंधियों सहित सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी कार्य को देखने के लिए कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) की स्थापना पहले ही कर दी है। कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तदंतर राज्य कल्याण अधिकारियों (एसडब्ल्यूओ) और जिला कल्याण अधिकारियों (डीडब्ल्यूओ) की नियुक्ति की है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2358, दिनांक 6.8.2024,

(ग) और (घ): सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई साझा झंडा नहीं है। प्रत्येक सीएपीएफ का अपना झंडा है और वह अपना स्थापना दिवस अलग से मनाता है।

(ङ) और (च): यह मुद्दा/मामला न्यायाधीन है और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है।

******